समाचार

01 जनवरी से जोन कार्यालय काउंटर द्वारा आनलाईन माध्यम से जमा कराई जाएगी संपत्तिकर एवं अन्य करों की राशि

(आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने जारी किया आदेश, अब जारी नहीं होगी इस हेतु मेन्युअल रसीद)

कोरबा 27 दिसम्बर 2024 – नए वर्ष की शुरूआत 01 जनवरी 2025 से नगर पालिक निगम कोरबा के जोन कार्यालय स्थित काउंटर द्वारा आनलाईन माध्यम से संपत्तिकर एवं निगम को देय अन्य करों की राशि करदाताओं से जमा कराई जाएगी तथा अधिकारी कर्मचारी अब संपत्तिकर की मेन्युअल रसीद जारी नहीं करेंगे।

आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने आदेश जारी कर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रशासनिक व्यवस्था एवं आनलाईन टैक्स सिस्टम मेन्टेनेस के दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिक निगम कोरबा के आनलाईन राजस्व प्रबंधन प्रणाली के द्वारा समस्त करदाताओं से जोन के टैक्स काउंटर द्वारा 01 जनवरी 2025 से आनलाईन माध्यम से संपत्तिकर व अन्य करों की राशि जमा कराएं। उन्होने आदेशित किया है कि 01 जनवरी 2025 से कोई भी अधिकारी कर्मचारी संपत्तिकर की आफलाईन/मेन्युअल रसीद जारी न करें तथा पूर्व जारी आफ रसीद को तत्काल निगम के आनलाईन राजस्व प्रबंधन प्रणाली में पोस्टिंग कराएं। उन्होने कहा कि यह जिम्मेदारी संबंधित वार्ड प्रभारी एवं जोन के जोन उप प्रभारी की होगी, अतः वे उक्त निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें।

<u>करदाता स्वयं भी आनलाईन जमा कर सकेंगे कर राशि</u> – करदाता https://municipalcorporation.in वेबसाईट में जाकर आप्शन को फालो करते हुए आनलाईन माध्यम से निगम को देय करों का भुगतान कर सकते हैं।